



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 02 किशोर अपचारीगण एवं 01 अभियुक्त को 20 - 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 48,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 421/2016 धारा-363,376D,109, 120बी भा0द0सं0 व 06 पाक्सो एक्ट व 16/17 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 किशोरअपचारीगण को दोषसिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 16,000/- रुपए के अर्थदण्ड से, अभि0 गोलू उर्फ अमित कुमार निवासी मराठीपुरा कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 13,000/- रुपए के अर्थदण्ड से, अभियुक्त शानू निवासी मराठीपुरा कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को धारा 363 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक—
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक—
उ0नि0 रामस्वरूप
गौतम



पैरोकार
थाना- मौदहा
का0 प्रदीप भार्गव